पत्र संख्या — 11/वि०—58/98 का० — 54 /

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

शिवराज अस्थाना,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी सचिव ।

पटना —15, दिनांक 14 फरवरी, 2003.

विषय — वेतनमान् 6,500 — 10,500/— रुपये से नीचे के पदों के रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या—113, दिनांक 25.07.1997 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान 2000 — 3800/— रुपये से नीचे के पदों का रोस्टर क्लीयरेंस के लिए संबंधित विभाग के विभागीय सचिव को प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार के कर्मियों के अनुरुप राज्य सरकार के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान् दिनांक 01.01.1996 से लागू किया गया । फलस्वरुप पुनरीक्षित वेतनमान् में अब कितने वेतनमान् तक का रोस्टर क्लीयरेंस प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

उक्त मामले पर भली—भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 113, दिनांक 25.07.1997 को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान 6,500 — 10,500/— रुपये से नीचे के पदों का रोस्टर क्लीयरेंस प्रशासी विभाग के विभागीय सचिवों के स्तर से पूर्ववत् सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया है । जहाँ तक वेतनमान् 6,500—10,500/— रुपये एवं उसके ऊपर के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस का प्रश्न है, वह पूर्व की भाँति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ही सम्पादित किया जाता रहेगा ।

विश्वासभाजन,

(शिवराज अस्थाना)
सरकार के सचिव ।